कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि

01.04.2015 से 31.03.2016

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन विकास एवं विनियमन अधिनियम 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्याः 1—487/99—1—फिन(एल0ए0) खण्ड—1—554, दिनांक 20.1.2000 के दृष्टिगत, कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे :—

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
1	श्री भूपेन्द्र कांत मिश्रा, अध्यक्ष	01.04.15 से 31.03.16
2	श्री सुशील गुलेरिया, सचिव	01.04.15 से 31.03.16

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्रमांक	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1.	दुकानों के किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7	24.46
2.	मण्डी शुल्क की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8	4.30
3.	लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2016 तक मण्डी शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9	7.72
4.	लाहौल पोटेटो सोसायटी से मण्डी शुल्क की वसूली का शेष पाया जाना	10	3.90
5.	उप मण्डी भून्तर में मण्डी शुल्क की राशि के गबन बारे	11	1.01
6.	विभिन्न बिलों में से स्थल पर की गई कटौती बारे	17	0.47

(घ) मण्डी समिति की आय व व्यय के स्त्रोत निम्न प्रकार से हैं

(1) आयः– कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू को वर्ष 2015–16 में सामान्यतः निम्नलिखित मदों से आय प्राप्त हुई :–

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 40(3) के अन्तर्गत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय

(iii) मण्डी समिति के विभिन्न निकायों में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों तथा अन्य व्यापारियों से मण्डी शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त आय

(iv) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मो के विक्रय से प्राप्त आय

(v) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय

(vi) मण्डी समिति कुल्लू परिसर में निर्मित पार्किंग की फीस के रूप में प्राप्त आय

(vii) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय

(viii) अन्य विविध आय

(2) व्ययः–कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान सामान्यतः निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गया :–

(i) वेतन, मानदेय, मजदूरी, अन्य विभिन्न भत्तों पर तथा कार्यालय मदों पर व्यय

(ii) कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ती तथा यात्रा/दैनिक भत्ते इत्यादि पर व्यय

(iii) कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण शिविरों व विज्ञापनों पर व्यय

(iv) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय

(v) मण्डी समिति के वाहन के पैट्रोल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय

(vi) निक्षेप कार्य (Deposit Works) के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यय

(vii) हिमाचल प्रदेश सरकार को देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय

(viii) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 49(3) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में संलिप्त व्यय

(ix) कार्यालय मशीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय

(x) अन्य विविध व्यय

(ड़) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विवरण **परिशिष्ट–''क''** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

कृषि उपज समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण, श्रीमती इन्दिरा भल्ला, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा पूर्वांकेक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के कुल्लू स्थित कार्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए हैं।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा उपलब्ध की गई

किसी भी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करने के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3. अंकेक्षण शुल्क

कृषि उपज समिति कुल्लू के वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹861573 आंका गया। मण्डी समिति द्वारा यह राशि डी0डी0 संख्याः 068121, दिनांक 03.09.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित की जा चुकी है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई, मण्डी समिति कुल्लू की वर्ष 2015–16 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

आरम्भिक शेष	85685273.83
वर्ष में प्राप्तियाँ	64867074.00
	150552347.83
वर्ष में भुगतान	52841141.00
वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष	97711206.83
रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	97828413.31
अन्तर	117206.48
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार दर्शाया गया अन्तर	89673.46
दिनांक 31.8.13 को रोकड़ बही में अधिक दर्शाई गई राशि	27361.52
के0सी0सी0 कुल्लू में अधिक दर्शाई राशि	164.00
वर्ष 2015–16 के दौरान पाया गया अन्तर	7.50
योग	**117206.48**

(ख) बैंकों में जमा तथा हस्तगत राशि के अन्तशेष का विवरण

परिशिष्ट "ग" के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	66520859.00
परिशिष्ट "घ" के अनुसार बचत खातों में जमा राशि	31916414.57
हस्तगत राशि	250.00
कुल योग	**98437523.57**
(रोकड़ बही का अन्तशेष)	**97828413.31**
अन्तर की राशि 98437523.57– 97828413.31	**609110.26**

(घ) बैंक समाधान विवरणिकाः–

APMC कुल्लू द्वारा संचालित विभिन्न बैंकों की दिनांक 31.3.2016 की बैंक समाधान विवरणिका का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है। इन बैंक समाधान विवरणिका में दर्शाई गई (+) और (–) की राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	बैंक का नाम/खाता सं0	(+) राशियों का विवरण
1	CBI Bank 4126	50592.00
2	-do-	310.00
3	CBI Bank 2517	261316.00
4	KCCOB Bajoura A/C No. 101(592)	18650.00
5	-do-	369592.00
6	Axis Bank A/C No. 942	66680.00
7	UBI Bhunter A/C 268	1582588.00
8	KCCOB Ani-961	44128.00
9	-do-	43.00
10	KCCOB Gandhi Nagar A/C	3146674.00
11	PNB Kullu A/C No. 3015	
12	KCCOB Manali A/C 079	731132.00
13	KCCOB Manali A/C 8157	20172.00
14	PNB Kullu A/C 886	657627.00
15	-do-	582998.00
16	SBI Luhri A/C (056)	596467.00
17	-do-	314226.00
18	KCCOB Kullu-20635	5862752.18
	Total	**14305947.18**

क्र0सं0	बैंक का नाम/खाता सं0	(–) राशियों का विवरण
1	CBI Bank 2517	131639.00
2	KCCOB Bajoura A/C No. 101(592)	11300.00
3	-do-	156137.00
4	Axis Bank A/C No. 942	8822.75
5	UBI Bhunter A/C 268	1088886.56
6	KCCOB Ani-961	17039.00

7	KCCOB Gandhi Nagar A/C		3119078.00
8	PNB Kullu A/C No. 3015		34.28
9	KCCOB Manali A/C 079		3850180.00
10	KCCOB Manali A/C 8157		3050.00
11	PNB Kullu A/C 886		49756.50
12	-do-		1191279.50
13	SBI Luhri A/C (056)		858366.00
14	-do-		1497.00
15	KCCOB Kullu-20635 (As per B.R.S.)	2483935.50	
16	(+) KCCOB Kullu बचत खाता संख्या 20635 में बैंक समाधान विवरण में रोकड़ बही के अनुसार आरम्भिक शेष में दर्शाई गई गलत राशि (1948601.76–1802142.27) (B.R.S. के अनुसार रोकड़ बही का आरम्भिक शेष) – (वास्तविक आरम्भिक शेष)	146459.49	
17	(+) KCCOB Kullu बचत खाता संख्या 20635 में बैंक समाधान विवरणी में बैंक पास बुक के अनुसार अन्तशेष में अधिक दर्शाई गई राशि (1430214.92 – 850838.58) अर्थात (B.R.S. का अन्त शेष) – (पास बुक का वास्तविक अन्तशेष)	579376.34	
	Total	**3209771.33**	**3209771.33**
	Grand Total		**13696836.92**

शुद्ध अन्तर की राशि 14305947.18–13696836.92=609110.26

5 सावधि जमा योजना में निवेश

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक ₹66520859 सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ग"** में दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन राशियों को परिपक्वता तिथि पर भुनाकर/आहरित करके, इनका पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

6 मण्डी समिति निधि का अकुशल वित्तीय प्रबन्धन बारे

वर्ष 2015–16 के बचत खातों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही के अनुसार मण्डी समिति के विभिन्न बचत खातों में दिनांक 31.03.2016 तक ₹31916414.57 शेष पड़ी थी, जिनका विवरण **परिशिष्ट–"घ"** पर दिया गया है। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके बचत खातों में आवश्यकतानुसार ही राशि

रखकर अधिशेष राशि का सावधि जमा के अर्न्तगत निवेश किया जाए ताकि इस पर अधिकतम ब्याज प्राप्त करके विपणन समिति की आय को बढ़ाया जा सके अन्यथा बचत खाते में अधिक राशि रखने पर मण्डी समिति को ब्याज की हानि का होना स्वाभाविक है, जिसका भविष्य हेतु परिहार किया जाए।

7 दुकानों के किराए के रूप में ₹24.46 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

कृषि उपज मण्डी समिति के माँग तथा संग्रह रजिस्टर (Demand & Collection) तथा अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "ङ" (I, II, III, IV, V, VI)** के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.3.2016 तक दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹2445738 वसूली हेतु शेष पाई गई।

विगत वर्षों में विभिन्न आंबटियों से वसूली हेतु शेष किराए का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	**तिथि जिस दिन किराए की वसूली शेष थी**	**वसूली योग्य किराए की राशि**
1	31.3.2005	149945
2	31.3.2006	585175
3	31.3.2007	892936
4	31.3.2008	850527
5	31.3.2009	820427
6	31.3.2010	836324
7	31.3.2011	1064816
8	31.3.2012	1689485
9	31.3.2013	1996748
10	31.3.2014	1950896
11	31.3.2015	2065403

नोटः– लम्बित किराए की वसूली से सम्बन्धित परिशिष्ट तैयार करते समय तथा कुछ लम्बित किरायों की वसूली के समय सेवा शुल्क की दर 15% थी लेकिन अब GST की दर 18% हो गई है तो वसूली गई राशि पर 18% (पूर्व के 15% तथा 3% अतिरिक्त) सेवा शुल्क लगाकर परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली बारे कृषि उपज मण्डी समिति के गत वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी लगातार आपत्ति उठाई जा रही है, किन्तु इस सन्दर्भ में कोई भी

उचित कार्यवाही नहीं गई है अपितु लम्बित किराए की राशि में प्रतिवर्ष बढ़ौतरी ही हुई है जैसा कि उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है। अतः उक्त लम्बित किराए की शेष राशि की शीघ्र वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में सभी दुकानों के आबंटियों से निर्धारित समय पर किराए की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 मण्डी शुल्क की ₹4.30 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की विभिन्न उप मण्डियों के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों एवं **"ओ"** फार्मों की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि विभिन्न लाईसैंस धारी व्यापारियों से दिनांक 31.03.2016 तक यथा **परिशिष्ट–"च" (I,II,III & IV)** पर दिए गए विवरणानुसार मण्डी शुल्क की बकाया ₹429590 वसूली हेतु शेष है। उक्त लम्बित वसूली के कारण जहां एक ओर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को ब्याज के रूप में भी हानि उठानी पड़ रही है, जो कि समिति के हित में नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अन्तर्गत वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथासमय इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9 लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों से मण्डी शुल्क की ₹7.72 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लाईसैंस धारी आलू व्यापारियों से देय शुल्क की जाँच में पाया गया कि आलू व्यापारियों से दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार मण्डी शुल्क के रूप में ₹771829 वसूली हेतु शेष थी। अतः इसकी वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधेयक 2005 की धारा 75 (1) ए के अन्तर्गत शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की बकाया राशि पर देय ब्याज की सम्भावित हानि से बचाया जा सके तथा भविष्य में भी मण्डी शुल्क जिस वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित है, उसी वित्तीय वर्ष में उसकी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	फर्म का नाम	पिछला बकाया	वर्ष 2015–16 में देय राशि	कुल राशि	प्राप्त राशि	31.3.2016 तक बकाया राशि
1	मै0 हरि सिंह ठाकुर	356615	304692	661307	356615	304692
2	मै0 सुशील कुमार एण्ड कम्पनी	303712	238530	542242	303712	238530
3	मै0 भगवान सिंह एण्ड कम्पनी	547363	228607	775970	547363	228607
		1207690	**771829**	**1979519**	**1207690**	**771829**

10 लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क के रूप में ₹3.90 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लाईसैन्स धारी लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0–ऑपरेटिव सोसाईटी की वर्ष 2015–16 की नस्तियों में संलग्न "ओ" फार्मों तथा रिटर्न की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक उनसे निम्न विवरणानुसार ₹389895 की बकाया मण्डी शुल्क वसूली हेतु शेष है, जिसकी वसूली नियमानुसार अतिशीघ्र की जाए। उक्त मण्डी शुल्क वर्ष 2015–16 से सम्बन्धित है जिसकी वसूली 31.3.2016 से पहले की जानी अपेक्षित थी लेकिन समय पर वसूली न किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को उक्त राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज की हानि भी उठानी पड़ी है जोकि अनियमित है। अतः भविष्य में मण्डी शुल्क की समय पर नियमानुसार वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

फर्म का नाम	पिछला बकाया	वर्ष 2015–16 में देय राशि	कुल राशि	प्राप्त राशि	31.3.2016 तक बकाया राशि
एल0पी0एस0	642106	389895	1032001	642106	389895
					389895

11 उप मण्डी भुन्तर में वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त मण्डी शुल्क ₹1.01 लाख को मण्डी समिति खाते में जमा न करने के परिणामस्वरूप उक्त राशि के दुर्विनियोजन/गबन की सम्भावना बारे

उप मण्डी भुन्तर की वर्ष 2015–16 की आय से सम्बन्धित लैजर, रसीद पुस्तकों, रिटर्न तथा बैंक विवरणियों की जाँच में पाया गया कि 13 विभिन्न रसीदों द्वारा एकत्रित की गई मण्डी शुल्क की निम्न विवरणानुसार ₹100606 बैंक में जमा नहीं करवाई गई है, जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि उकत राशि का दुरूपयोग/गबन किया गया है, क्योंकि एकत्रित की गई इस ₹100606 को बैंक में जमा किये जाने का कोई भी प्रमाण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

क्र0सं0	**फर्म का नाम**	**विवरण**	**राशि**	**रसीद संख्या/दिनांक**
1	मै0 उमेश मीट शॉप भुन्तर	मण्डी शुल्क	40000	0382291/31.3.2016
2	मै0 अमर टैक्स भुन्तर	–यथोपरि–	2585	0382292/31.3.2016
3	मै0 खेम राज भुन्तर	लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क	110	0382293/31.3.2016
4	मै0 सन्दीप कुमार बजौरा	मण्डी शुल्क	5510	0382294/31.3.2016
5	मै0 सन्दीप कुमार बजौरा	लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क	110	0382295/31.3.2016
6	मै0 अम्बिका जनरल स्टोर भुन्तर	–यथोपरि–	110	0382296/31.3.2016
7	मै0 वन्दना ट्रेडिंग कम्पनी भुन्तर	–यथोपरि–	110	0382297/31.3.2016
8	मै0 अम्बिका जनरल स्टोर भुन्तर	मण्डी शुल्क	4305	0382298/31.3.2016
9	मै0 आर0के0 ट्रेडिंग कम्पनी भुन्तर	–यथोपरि–	15030	0382299/31.3.2016
10	मै0 शिव शक्ति फ्रूट कम्पनी भुन्तर	सुविधा शुल्क	5921	0782885/30.5.2015
11	मै0 उमेश मीट शॉप भुन्तर	मण्डी शुल्क	18120	0650500/13.10.2015

12	मै0 तीर्थन फ्रूट बन्जार	दुकान का किराया	5000	0394965 / 5.11.2015
13	मै0 तीर्थन फ्रूट कं0 बन्जार	सुविधा शुल्क	3695	0394966 / 5.11.2015
		योग	**₹100606**	

उक्त सभी रसीदें उप मण्डी भुन्तर में तैनात एक कर्मचारी द्वारा काटी गई है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72 दिनांक 5.7.2017 तथा अधियाचना संख्या 88 दिनांक 16.8.2017 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को सूचित किया जा चुका है। अतः उक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चधिकारियों के सम्मुख मण्डियों में प्रभावी नियन्त्रण/पर्यवेक्षण किए जाने हेतु लाया जाता है। इस प्रकरण में अपेक्षित जांच के प्श्चात सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त गबन की राशि को दण्ड ब्याज सहित वसूलना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

12 उप मण्डी भुन्तर में मण्डी शुल्क की वसूली में पाई गई विभिन्न अनियमितताऐं

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की उप मण्डी भुन्तर की वर्ष 2015–16 की आय से सम्बन्धित अभिलेखों/दस्तावेजों की जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त मण्डी में तैनात कर्मचारियों द्वारा अभिलेखों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण और आधा अधूरा अभिलेख अंकेक्षण के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप मण्डी शुल्क की वास्तविक वसूली का सत्यापन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार की अन्य मण्डियों की कार्य प्रणाली पर अनेक आपत्तियाँ गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाई गई थी लेकिन मण्डी समिति द्वारा इस सन्दर्भ में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। अंकेक्षण के दौरान उप मण्डियों की कार्यप्रणाली में पाई गई कुछ महत्वपूर्ण व गम्भीर त्रुटियों का विवरण निम्न प्रकार सें हैः–

(क) रसीद पुस्तकों का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना

वर्ष 2015–16 के दौरान फीस वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उप मण्डी भुन्तर में रसीद संख्या 782901 से 783000 तक रसीदें तो काटी गई है लेकिन

उक्त रसीद बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके अभाव में सही वसूली तथा वसूली गई राशियों का बैंक में जमा किए जाने की पुष्टि/सत्यापन अंकेक्षण में नहीं किया जा सका। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में भी उप मण्डी भुन्तर में तैनात कर्मचारी द्वारा रसीद संख्या 683901 से 684000 तक अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसका उल्लेख गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में किया गया था।

(ख) वर्ष 2015–16 के दौरान उप मण्डी भुन्तर में लाईसैन्सधारी व्यापारियों की नस्तियों में "ओ" फार्मों का न लगाया जाना

उप मण्डी, भुन्तर में तैनात कर्मचारियों द्वारा लाईसैन्स धारी व्यापारियों की नस्तियों में वर्ष 2015–16 में किए गए व्यापार से सम्बन्धित कोई भी "ओ" फार्म संलग्न नहीं किए गए है, अर्थात मण्डी शुल्क की वसूली ओ फार्म लिए बिना ही की गई है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि मण्डी शुल्क का आंकलन किस आधार पर किया गया है जबकि "ओ" फार्मों पर किए गए व्यापार की अवधि, वस्तु की मात्रा तथा मूल्य आदि अंकित होता है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली के फलस्वरूप मण्डी शुल्क की राशियों के गबन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही तथा ओ फार्मों को शीघ्रतिशीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु लाया जाता है।

(ग) वर्ष 2015–16 में जारी की गई अनेक रसीद पुस्तकों को पूर्ण रूप से उपयोग न करके आधी खाली छोड़ देना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उप मण्डी भुन्तर के कर्मचारियों द्वारा उन्हें जारी की गई रसीद पुस्तकों का पूर्ण रूप से उपयोग न करके कुछ रसीदों को खाली छोड़ दिया गया है जोकि अनियमित प्रक्रिया है। उदाहरणतयः रसीद पुस्तक संख्या 0782701 से 0782800 में रसीद संख्या 0782783 दिनांक 16.9.2015 तक काटी गई है लेकिन रसीद संख्या 0782784 से रसीद संख्या 0782800 खाली छोड़ी गई है। इसी प्रकार रसीद संख्या 0398601 से रसीद संख्या 0398657 दिनांक 9.12.2015 तक काटी गई है तथा रसीद संख्या 0398658 से रसीद संख्या 0398700 तक खाली छोड़ दी गई है जोकि अत्यन्त ही लापरवाही का प्रकरण है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में रसीद बुकों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाए।

(घ) उप मण्डी भुन्तर के अधीन आने वाली आटा मिलों, मीट व्यापारियों तथा अण्डा व्यापारियों के किसी भी अभिलेख का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना

उप मण्डी भुन्तर की वर्ष 2015–16 की आय की जाँच में पाया गया कि उक्त मण्डी के अधीन आने वाले किसी भी आटा मिलों, अण्डा तथा मीट व्यापारियों का कोई अभिलेख जैसे कि सम्बन्धित लेजर नस्ति आदि अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया है, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ङ) उप मण्डी भुन्तर के वर्ष 2015–16 के लैजर में अनेक लाईसैन्सधारी व्यापारियों के ओ फार्मों का गायब पाया जाना तथा अनेक व्यापारियों का व्यापार शून्य दिखाया जाना

उप मण्डी भुन्तर की वर्ष 2015–16 की आय से सम्बन्धित लैजर की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों को जारी किए गए जो फार्मों में से अनेक ओ फार्मों का लैजर में अभिलेख ही उपलब्ध नहीं है। स्वाभाविक है कि इन ओ फार्मों की मण्डी शुल्क भी वसूली नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त लैजर में ही अनेक लाईसैन्सधारी व्यापारियों का व्यापार शून्य दिखा कर मण्डी शुल्क की वसूली नहीं की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उप मण्डी भुन्तर में मण्डी शुल्क की वसूली करने में अधिकारी/कर्मचारी तत्पर नहीं है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

13 नाका चौकी लुहरी में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क की ₹0.11 लाख को बैंक में कम जमा करवाया जाना

नाका चौकी बजौरा की वर्ष 2015–16 की आय की जाँच में पाया गया कि माह अक्तूबर 2015 में रसीद संख्या 0383506 से 0383529 द्वारा वसूल की गई ₹18280 में से ₹7000 ही बैंक में जमा करवाए गए है तथा ₹11280 जमा नहीं करवाए गए है जोकि एक गम्भीर अनियमितता तथा इस राशि के गबन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में रोकड़ बही में प्रविष्टियां दर्ज करने वाले कर्मचारी द्वारा भी नाका चौकी प्रभारी द्वारा जमा करवाई गई गलत राशि से सम्बन्धित मासिक रिर्टनों की जाँच किए बिना ही राशि को रोकड़ बही में इन्हें दर्ज कर लिया है। अतः कम जमा की गई राशि को सम्बन्धित चौकी प्रभारी से दण्ड ब्याज सहित वसूली करने के उपरान्त इसे रोकड़ बही में

दर्ज करने के उपरान्त बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में अधीनस्थ कार्यरत्त कर्मचारियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना सुनिश्चित किया जाए। कम जमा करवाई गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

माह	रसीद संख्या	राशि जो बैंक में जमा की जानी थी	बैंक में जमा की गई राशि	कम जमा की गई राशि
अक्तूबर 2015	0383506 से 0383529 तक	18280	7000	11280

14 उप मण्डी बन्जार की वर्ष 2015–16 की आय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

उप मण्डी बन्जार की वर्ष 2015–16 की आय की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी है क्योंकि मण्डी के प्रभारी द्वारा उक्त मण्डी की आय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के बार–2 अनुरोध करने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे यह भी प्रतीत होता है कि या तो मण्डी शुल्क का कोई अभिलेख ही नहीं बनाया गया है या तो वसूली गई मण्डी शुल्क की राशि बैंक में जमा न करवा कर राशि का गबन किया गया है जोकि अति गम्भीर मामला है। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिरियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस प्रकरण की छानबीन करके सम्बन्धित कर्मचारी को सम्पूर्ण रिकार्ड (अभिलेख) शीघ्रातिशीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये जाएं।

15 हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना वाहन को कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने के सन्दर्भ में

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की वर्ष 2015–16 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि कार्यालय वाहन संख्या एच0पी0–34 ए–7119 तथा एच0पी0–35–5151 को मण्डी समिति के अधिकारियों द्वारा अपने कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर अनेक बार ले जाया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर संलग्न है जोकि सरकारी वाहनों के रख रखाव तथा प्रयोग सम्बन्धी नियम 39 की सरासर अवहेलना है। अंकेक्षण द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 15 में इस सम्बन्ध में आपत्ति जताई थी लेकिन मण्डी

समिति के अधिकारियों द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही अमल मे नहीं लाई गई अपितु न तो यात्रा से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति ली गई न ही यात्रा के बाद कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जिसे अब प्राप्त करके सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में उक्त चूक को दोहराने से पारिहार किया जाए।

16 निक्षेप कार्य (Deposit Works) के लिए जमा की गई ₹41.90 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति द्वारा वर्ष 2015–16 में निर्माण कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पास ₹4190447 जमा करवाई गई थी, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–''ज''** पर दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में दिए गए विवरण के अनुसार जमा करवाई गई ₹4190447 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए हैं जिन्हें विपणन बोर्ड शिमला से अतिशीघ्र प्राप्त करके अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

17 विभिन्न बिलों में से स्थल पर ₹0.47 लाख की कटौती बारे

वर्ष 2015–16 में निवासी अंकेक्षण योजना में पूर्वांकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिलों की जाँच पड़ताल करने पर अंकेक्षण द्वारा ₹47221 की स्थल पर ही कटौती की गई है। अतः विपणन समिति प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करके पूर्वांकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न बिलों को सही प्रकार से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अनियमित अदायगी से बचा जा सके। स्थल पर की गई कटौती का विवरण यथा **परिशिष्ट–''झ''** पर दिया गया है।

18 लम्बित पड़ी अंकेक्षण अधियाचनाएं

वर्ष 2015–16 के दौरान अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को जारी की गई अंकेक्षण अधियाचनाओं में से निम्नलिखित अंकेक्षण अधियाचनाएं निपटारे हेतु शेष हैं :–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 139 दिनांक 6.11.2015
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 9.2.2016
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33 दिनांक 30.3.2016
अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34 दिनांक 31.3.2016

अतः उपरोक्त सभी वर्णित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा सुनिश्चित करने के साथ–साथ गत वर्षों की सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 **निष्कर्ष :–** मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लेखाओं के रख–रखाव में अत्यन्त सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पुराने लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में तथा अंकेक्षण में अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने में मण्डी समिति की गति शीलता नगण्य है, जिस कारण जहां अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है वहीं अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने में भी विलम्ब होता है। अतः लेखों में सुधार के अतिरिक्त अपेक्षित अभिलेख भी यथा समय अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाने सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)–79/84–खण्ड–10–3973–3976,दिनांक :01.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पंजिकृत

1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को तथा अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति कुल्लू को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन भवन खलीनी, शिमला–171002.
3. विशेष सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002.
4. अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू , जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट–''क'' (पैरा 1 (ङ) के सन्दर्भ में)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित अनिर्णीत पैरों का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1977 से 3/1983

1.	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत	₹4.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
2.	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत	₹1.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
3.	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो को0ओ0 सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
4.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क न लिए जाने बारे
5.	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों द्वारा क्रय विक्रय का दैनिक विवरण फार्म ''एम'' मे न भरने बारे
6.	पैरा 6(v)	अनिर्णीत	बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे
7.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत	पेड़ों की नीलामी से हानि बारे
8.	पैरा 9(ए से एच)	अनिर्णीत	अस्थाई बिजली फिटिंग का कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति एवं टैडर से करने बारे तथा अनियमित भुगतान इत्यादि के मामलों के बारे में
9.	पैरा 9(vi)	अनिर्णीत	सात लकड़ी के खोखों की खरीद बिना बजट प्रावधान व बिना स्वीकृति के करना
10.	पैरा 13(v)	अनिर्णीत	आलू ग्राऊंड को समतल करवाने से सम्बन्धित व्यय रिकॉर्ड सहित अंकेक्षण को न दर्शाने बारे

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1984

1.	पैरा 5(सी) (i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत	लाहौल पोटैटो सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के खर्च की कटौती बारे

2.	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत	सेब व पलम पर मण्डी शुल्क न लेने बारे
3.	पैरा 5(एफ)	अनिर्णीत	बिना लाईसैंस व मण्डी शुल्क लेने से कमेटी को हानि बारे
4.	पैरा 10(बी)	अनिर्णीत	अंकेक्षण को 6 दुकानों के निर्माण कार्य के बारे में रिकॉर्ड न दिखाना
5.	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत	अंकेक्षण को ग्राऊंड को समतल करवाने सम्बन्धी कार्य के भुगतान का रिकॉर्ड न दिखाना

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत	29 व्यापारियों (Dealers) लाईसैंसधारियों द्वारा एम फार्म में रिटर्न जमा न करवाना
2.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी द्वारा आलू के बीज के 1172 बैग के मण्डी शुल्क की रिटर्न न भरने बारे
3.	पैरा 5(iii)(बी) (2, 4, 5)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे
4.	पैरा 5(iv) (i, ii, iii)	अनिर्णीत	शनाग को0आ0 सोसाईटी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे
5.	पैरा 5(v)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ लाहौल आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
6.	पैरा 8	अनिर्णीत	चौरी विहाल की दुकान/बूथ के किराये बारे
7.	पैरा 9	अनिर्णीत	पत्थरों की नीलामी से हानि बारे
8.	पैरा 11(1)	अनिर्णीत	अनियमित भुगतान बारे
9.	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत	कुल्लू में 6 दुकानों के निर्माण कार्य के रिकॉर्ड अंकेक्षण को न दिखाना
10.	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों से स्टोरेज चार्जिज न लिए

			जाने से कमेटी को हानि बारे

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1987

1.	पैरा 5	अनिर्णीत	ग्रांट की बकाया ₹40,953 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना
2.	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत	लाहौल पौटेटो को0आ0 सोसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
3.	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ हरी सिंह एण्ड कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति से मण्डी शुल्क में खर्च की कटौती बारे
4.	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत	मैं0 मनाली आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
5.	पैरा 6(डी)	अनिर्णीत	मैसर्ज़ भारत आलू कम्पनी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹21,666 की वसूली बारे
6.	पैरा 9	अनिर्णीत	निर्माण कार्य मार्किट यार्ड बहांग में 14 दुकानों का कार्य अधूरा होने बारे

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1991

1.	पैरा 12	अनिर्णीत	निर्माण कार्य का भुगतान अंकेक्षण को न दिखाना

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1996

1.	पैरा 10(1)	अनिर्णीत	दैनिक वेतन भोगियों को सरकारी दरों से अधिक दरों पर किया गया भुगतान
2.	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य हेतु खरीदे गए सामान का सही रिकॉर्ड अंकेक्षण को न दिखाना
3.	पैरा 10(3)	अनिर्णीत	विश्राम गृह हेतु फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति न लेने बारे
4.	पैरा 10(5)	अनिर्णीत	चेयर मैन/अधिकारी विपणन बोर्ड/समिति कुल्लू द्वारा टैक्सी के प्रयोग के भुगतान बारे

5.	पैरा 10(7)	अनिर्णीत	मोटर साईकल पर पैट्रोल की खरीद पर व्यय बारे
6.	पैरा 10(12)	अनिर्णीत	ठेकेदारों को धरोहर राशि की वापसी बारे
7.	पैरा 10(15)	अनिर्णीत	ग्रेच्युटी व अवकाश वेतन की जाँच हेतु अंकेक्षण में सेवा पुस्तिका प्रस्तुत न करना
8.	पैरा 10(17)	अनिर्णीत	फार्म ''एम'' जारी किए गए परन्तु मण्डी समिति में जमा नहीं किए गए
9.	पैरा 11	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2000

1.	पैरा 11	अनिर्णीत	निर्माण कार्य के एवज़ में हिमाचल प्रदेश मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2002

1.	पैरा 13	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश मार्किटिंग बोर्ड शिमला से प्राप्त न करने बारे
2.	पैरा 14	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना
3.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत	टैक्सी द्वारा यात्रा का विवरण बिल में न दर्शाना
4.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत	बजट से अधिक खर्च की कार्योत्तर स्वीकृति न दिखाना
5.	पैरा 17	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से सम्बन्धित फार्म ''एम'' पर रिटर्न का न भरना

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1.	पैरा 7	अनिर्णीत	अध्यक्ष को घर से कार्यालय तक यात्रा भत्ता दैनिकी इत्यादि पर ₹2,57,800 का गलत

			भुगतान
2.	पैरा 14	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना
3.	पैरा 18	अनिर्णीत	मार्किट यार्ड चौरी विहाल सब्जी मण्डी की रसीद बुक का सत्यापन न होना

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1.	पैरा 12	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र न दर्शाना
2.	पैरा 18(1 से 6)	अनिर्णीत	रसीद बुकों के सारे पैसों को जमा न करके रद्द करने बारे

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1.	पैरा 12(2)	अनिर्णीत	उप–सब्जी मण्डी कुल्लू व उप–सब्जी मण्डी चौरी विहाल के मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिटर्न फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना
2.	पैरा 13	अनिर्णीत	उप सब्जी मण्डी पतलीकूहल में आबंटित स्टॉलों/बूथों का किराया न वसूलने बारे
3.	पैरा 14(2)	अनिर्णीत	मॉर्डन (Modern) फ्रूट कम्पनी द्वारा आलू के 775 बैग से सम्बन्धित मण्डी शुल्क व फार्म ''एम'' रिटर्न न भरने बारे
4.	पैरा 14(4)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से किराए की कटौती बारे
5.	पैरा 17(2)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों से मण्डी शुल्क की वसूली बारे

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1.	पैरा 7(1 से 6)	अनिर्णीत	₹17,54,813 के डिपाजिट/निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड से लेकर न दर्शाने बारे
2.	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	हाप्स पर मण्डी शुल्क न लेने से ₹48,135

			की मण्डी शुल्क की हानि बारे	
3.	पैरा 11(क)	अनिर्णीत	उप–सब्जी मण्डी कुल्लू के अवधि 2005–06 व 2006–07 की रिटर्न फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना	
4.	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत	जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की रिटर्न (अवधि 2005–06, 2006–07) का फार्म ''एम'' अंकेक्षण को न दिखाना	
5.	पैरा 12(1, 2, 3)	अनिर्णीत	बिजली के बिलों में पाई गई अनियमितताओं को अंकेक्षण में न बताने बारे	
6.	पैरा 15(3)	अनिर्णीत	चल–अचल सम्पति रजिस्टर तैयार न करने बारे	
(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008				
1.	पैरा 7(ग)(2)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से ₹5,06,405 का व्यय विभिन्न वर्षों में बिना कमेटी की स्वीकृति के करने बारे	
2.	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	मण्डी समिति कुल्लू द्वारा बिना लाईसैंसधारियों से ₹41,931 की मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे	
3.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	उप सब्जी मण्डी कुल्लू के वर्ष 2005–06, 2006–07 व 2007–08 के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	
4.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की वसूली बारे	
(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009				
1.	पैरा 4(ग)(2)	अनिर्णीत	देय मण्डी शुल्क की राशि में से व्यय के रूप में की गई कटौती की राशि के अनुमोदन बारे	वित्तीय वर्ष 2009–10 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई

				है। पैरा समायोजित
2.	पैरा 4(ग)(3)	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0आ0 सोसाईटी से मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे	पैरा पुनः प्रारूपित
3.	पैरा 5	अनिर्णीत	विभिन्न उप मार्किट यार्डों में अवधि 31.03.2008 तक की बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे	
4.	पैरा 8	अनिर्णीत	दुकानों के इकरारनामें लेखा परीक्षा को नहीं दर्शाने बारे	
5.	पैरा 10	अनिर्णीत	लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बधित अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत न करने बारे	
6.	पैरा 11	अनिर्णीत	दुकानों के इकरारनामों/लीजडीड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	
7.	पैरा 12	अनिर्णीत	लाईसैंसों का नियमानुसार पंजीकरण न करना	
8.	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	विभिन्न बैरियरों पर जारी किए गए रजिस्टरों व इनवैन्ट्री रजिस्टर बारे	
9.	पैरा 13(2	अनिर्णीत	फार्म ''ओ'' के सत्यापन बारे	

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1.	पैरा 6(ग)2)	अनिर्णीत	बिना कमेटी की स्वीकृति से मण्डी शुल्क की देय राशि से बिजली बिलों पर व्यय की कटौती बारे	
2.	पैरा 7	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0आ0 द्वारा समय पर मण्डी शुल्क की राशि जमा न करवाने पर हुई ब्याज की राशि की हानि बारे	वित्तीय वर्ष 2009–10 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित
3.	पैरा 8	अनिर्णीत	विभिन्न जारी किए गए फार्मों की बिक्री से	

			हुई प्राप्त राशि के जमा बारे	
4.	पैरा 10	अनिर्णीत	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे	
5.	पैरा 11	अनिर्णीत	लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने बारे	
6.	पैरा 12	अनिर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना	

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1.	पैरा 5(i)	निर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे	पैरा पुनः प्रारूपित
2.	पैरा 5(ii)	निर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे	पैरा पुनः प्रारूपित
3.	पैरा 5(iii)	निर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे	पैरा पुनः प्रारूपित
4.	पैरा 5(iv)	निर्णीत	आबंटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे	पैरा पुनः प्रारूपित
5.	पैरा 6 (i, ii, iii, iv, v)	निर्णीत	मण्डी शुल्क की बकाया ₹8,53,338 की वसूली बारे	पैरा पुनः प्रारूपित
6.	पैरा 7	निर्णीत	आलू व्यापारियों से अवधि 31.03.2011 तक ₹5,26,993 की वसूली बारे	वित्तीय वर्ष 2011–12 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित
7.	पैरा 8	निर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर सोसाईटी से मण्डी शुल्क की बकाया ₹1,17,318 की वसूली बारे	वित्तीय वर्ष 2010–11 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित
8.	पैरा 9	अनिर्णीत	संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत अवधि	

			31.03.2011 तक भुगतान की गई ₹83,758 की दूसरी विपणन समितियों से भरपाई करने बारे	
9.	पैरा 10	अनिर्णीत	₹1,26,02,034 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे	
10.	पैरा 11	अनिर्णीत	सब मार्किट यार्ड बन्दरोल में उगे पौधों की लागत ₹3,58,730 का भुगतान वन मण्डलाधिकारी कुल्लू को करने बारे	
11.	पैरा 12	अनिर्णीत	विपणन समिति कुल्लू द्वारा विभिन्न सब मार्किट यार्डों में आबंटित दुकानों के एग्रीमेन्ट को लेखा परीक्षा में न दर्शाने बारे	
12.	पैरा 13	अनिर्णीत	लाईसैन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण न करना	
13.	पैरा 14	अनिर्णीत	देय दुकानों के किराये की ₹4,75,200 की कम वसूली बारे	

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1.	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	मण्डी समिति कार्यालय द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को वन निगम के नाम कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक कुल्लू में गिरवी रखना	
2.	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने पर ब्याज की हानि	
3.	पैरा 6	अनिर्णीत	उप मण्डी भून्तर से प्राप्त आय की ₹1,09,073 को बैंक मे जमा न करवाया जाना	
4.	पैरा 7	निर्णीत	दुकानदारों से आबंटित दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹16,89,485 की वसूली न	पैरा पुनः प्रारूपित

			करना	
5.	पैरा 8	निर्णीत	मण्डी समिति कुल्लू द्वारा आबंटित दुकानों/बूथों से पिछले 15–20 वर्षों मे किराए की वसूली न करना तथा किराये की वसूली के बिना आबंटित दुकानों/बूथों को दूसरी फर्मों के नाम स्थानान्तरित करना	पैरा पुनः प्रारूपित
6.	पैरा 9	निर्णीत	मण्डी शुल्क की बकाया ₹4,01,183 की वसूली न करना	पैरा पुनः प्रारूपित
7.	पैरा 10	निर्णीत	लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क की ₹1,04,327 कम वसूल किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि	पैरा पुनः प्रारूपित
8.	पैरा 11	निर्णीत	आलू व्यापारियों से अवधि 31.03.2012 तक ₹2,70,200 का वसूली हेतु शेष पाया जाना	वित्तीय वर्ष 2012–13 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित
9.	पैरा 12	निर्णीत	लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹1,36,529 की वसूली न करना	वित्तीय वर्ष 2012–13 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित
10.	पैरा 13	अनिर्णीत	नाकाचौकी बजौरा, लुहरी तथा लारजी में लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹29,287 की कम वसूली करना	
11.	पैरा 14	अनिर्णीत	विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की ₹9,19,666 की वसूली से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न	

			करना	
12.	पैरा 15	अनिर्णीत	उप मण्डी समिति कुल्लू के विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीदों की रसीद संख्या तथा दिनांक इत्यादि को सम्बन्धित लैजर में अंकित न करना	
13.	पैरा 16	अनिर्णीत	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में कमी पाई जाना	
14.	पैरा 17	अनिर्णीत	मार्किट यार्ड कुल्लू की आय से सम्बन्धित लैजर के रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे	
15.	पैरा 18	अनिर्णीत	डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1.	पैरा 6	अनिर्णीत	(बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने से ब्याज की हानि)	
2	पैरा 7 (क, ख, ग, घ, ड़, च, छ)	अनिर्णीत	(रोड़ड बही का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे)	
3	पैरा 8	निर्णीत	(दुकानदारों से दुकानों से लम्बित किराये के रूप में ₹19,96,748 की वसूली बारे)	पैरा पुनः प्रारूपित
4	पैरा 9	निर्णीत	(मण्डी शुल्क की बकाया ₹3,71,743 की वसूली बारे)	पैरा पुनः प्रारूपित
5	पैरा 10	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा में कम्पाऊंड शुल्क में से ₹19,020 को बैक में कम जमा करवाने बारे)	
6	पैरा 11	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा तथा लारजी में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंडश्शुल्क	

			की राशि ₹42,105 की कम वसूली बारे)	
7	पैरा 12	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क ₹3,19,118 से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण मं प्रस्तुत न करने बारे)	
8	पैरा 13	अनिर्णीत	(विभिन्न मण्डियों में एक ही क्रम संख्या की रसीद पुस्तकों का प्रयोग किए जाने बारे)	
9	पैरा 14	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से वसूली मण्डी प्रांगण में न करने बारे)	
10	पैरा 15	अनिर्णीत	(विभिन्न मण्डियों में वसूली गई फीस से सम्बन्धित दस्तावेज़ व्यापारियों की नस्तियों में न पाया जाना)	
11	पैरा 16	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों की नस्तियों में कुछ फार्मों का न पाया जाना)	
12	पैरा 17	अनिर्णीत	(मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रसीदों का इन्द्राज सम्बन्धित लेजर में न करने बारे)	
13	पैरा 18	अनिर्णीत	(डिपोजिट कार्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे)	
14	पैरा 19	अनिर्णीत	(निजी प्रिंटिंग प्रैस से 10 रोकड़ बहियों को छपवाने बारे)	
15	पैरा 21	अनिर्णीत	(लम्बित पड़ी अंकेक्षण अधियाचनाओं बारे)	

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा 6	अनिर्णीत	(बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि)	
2	पैरा 7	अनिर्णीत	(वर्ष 2013–14 के दौरान बैंक बचत खातों की संख्या में अत्याधिक बढ़ौतरी)	
3	पैरा 8	निर्णीत	(दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹1950896 की शेष वसूली)	पैरा पुनः प्रारूपित
4	पैरा 9	निर्णीत	(मण्डी शुल्क की बकाया ₹562055 का वसूली हेतु शेष पाया जाना)	पैरा पुनः प्रारूपित
5	पैरा 10	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा में वसूले गए कम्पाऊंड	

			शुल्क में से ₹9520 का बैंक में कम जमा करना)	
6	पैरा 11	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹68145 की कम वसूली)	
7	पैरा 12	अनिर्णीत	(उप मण्डी भुन्तर में एक ही समय पर अनेक क्रम संख्या की कई रसीद पुस्तकों का प्रयोग किया जाना)	
8	पैरा 13	निर्णीत	(लाईसैंसधारी आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.14 तक ₹364679 का वसूली हेतु शेष पाया जाना)	
9	पैरा 14	निर्णीत	(लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹142072 का वसूली हेतु शेष पाया जाना)	वित्तीय वर्ष 2014—15 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित
10	पैरा 15	निर्णीत	(लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली अंश भुगतान के रूप में प्राप्त करने बारे)	वित्तीय वर्ष 2014—15 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित
11	पैरा 16 (क, ख)	अनिर्णीत	(विभिन्न मण्डियों से वसूले गए मण्डी शुल्क / सुविधा शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही प्रकार से न किया जाना)	
12	पैरा 17 (क से ङ)	अनिर्णीत	(रसीद पुस्तकों से सम्बन्धित प्राप्ती एवं वितरण रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार नहीं ढ़ंग से न किया जाना)	

13	पैरा 18	अनिर्णीत	(मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आयकर विभाग को आयकर की ₹6881305 तथा जुर्माना की ₹30000 अर्थात कुल ₹6911305 का अनावश्यक भुगतान किए जाने बारे)	
14	पैरा 19	अनिर्णीत	(सेवा शुल्क के जुर्माने की ₹13265 का अनावश्यक भुगतान करने बारे)	
15	पैरा 20	अनिर्णीत	(डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹10180093 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना)	

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा 6	अनिर्णीत	(बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि)	
2	पैरा 7	निर्णीत	(दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹20.65 लाख की शेष वसूली)	पैरा पुनः प्रारूपित
3	पैरा 8	निर्णीत	(मण्डी शुल्क की बकाया ₹4.39 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना)	पैरा पुनः प्रारूपित
4	पैरा 9	निर्णीत	(विभिन्न मण्डियों से वसूली योग्य मण्डी शुल्क ₹0.32 लाख की वसूली न करना व कम वसूली करना)	पैरा पुनः प्रारूपित
5	पैरा 10	अनिर्णीत	(विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों की नस्तियों में संलग्न क्रमवार ओ फार्मों में से अनेक ओ फार्मों का अनुपलब्ध होना)	
6	पैरा 11	अनिर्णीत	(मण्डी शुल्क/सुविधा शुल्क तथा अन्य वसूलियों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही ढ़ंग से न किया जाना तथा अभिलेखों का अंकेक्षण में प्रस्तुत न किया जाना)	

7	पैरा 12	निर्णीत	(लाईसैन्सधारी आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2015 तक ₹12.08 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जना)	वित्तीय वर्ष 2015–16 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित
8	पैरा 13	निर्णीत	(लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹6.42 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना)	वित्तीय वर्ष 2015–16 में बकाया मण्डी शुल्क की वसूली कर ली गई है। पैरा समायोजित
9	पैरा 14	अनिर्णीत	(कम्पाऊंड शुल्क की वसूली रसीद पुस्तकों में वस्तु का नाम मात्रा व मूल्य दर्शाए बिना ही प्राप्त करना)	
10	पैरा 15	अनिर्णीत	(हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अनियमित तौर पर वाहन को कार्याधिकारी क्षेत्र से बाहर ले जाने के सन्दर्भ में)	
11	पैरा 16	अनिर्णीत	(नाका चौकी बजौरा में रसीदों पर अंकित वास्तविक राशि पर Over Writing (ऊपर से लिखना) करके अन्य राशि का लिखा जाना	
12	पैरा 17	अनिर्णीत	(डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹120.44 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना)	
13	पैरा 18	निर्णीत	(विभिन्न बिलों में से स्थल ₹0.95 लाख की कटौती करने बारे)	

अनिर्णीत पैरों का सार :–

प्रारम्भिक शेष	**152**
वर्तमान अंकेक्षण में लगाए गए पैरे	**15**
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत किए गए पैरा	**28**
अन्तशेष	**139**